

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3
संख्या-121(3)X-3-2013-8(83)/2001 टी.सी.
देहरादून दिनांक 14 फरवरी, 2013

अधिसूचना

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-22 की उपधारा-4 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या: 256/X-3-2013-8(83)/2001 टी०सी० दिनांक 22 मार्च, 2011 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की पुर्नसंरचना निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	पुर्नगठन संरचना
1.	अध्यक्ष	01	शासन द्वारा नामित
2.	पदेन सदस्य	05	1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि। 2. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड। 3. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड। 4. निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड। 5. मुख्य वन संरक्षक, स्तर का अधिकारी (प्रतिनियुक्ति द्वारा) सदस्य-सचिव।
3.	विशेषज्ञ सदस्य	05	1. निदेशक, जडी-बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर, चमोली। 2. निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि। 3. निदेशक, जी०बी० पन्त हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल, जिला-अल्मोडा, उत्तराखण्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि। 4. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। 5. राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि (03 वर्षीय कार्यकाल हेतु)।

2- इसके अतिरिक्त बोर्ड की समय-समय पर आयोजित बैठकों में निदेशक वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून निदेशक उद्यान, निदेशक, मत्स्य, संयुक्त निदेशक, भारतीय वन्य जन्तु सर्वेक्षण, देहरादून तथा अन्य विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

3- यह बोर्ड उक्त अधिनियम की धारा 23 में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(एस० रामास्वामी)

प्रमुख सचिव

संख्या-121(3)/X-3-2013/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
5. अध्यक्ष/समस्त सदस्यगण, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक/प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी, उत्तराखण्ड को उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियां राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मनोज चन्द्रन)

अपर सचिव